UPKJ010032802025

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, कन्नौज।

पीठासीन अधिकारी–नरेन्द्र कुमार झा (उच्चतर न्यायिक सेवा)UP02007

दीवानी निगरानी संख्या 31/2025

(मूलवाद संख्या–65/1989)

1.योगेन्द्र कुमार (फौत)
1/1.अरूण कुमार
1/2. ओम कुमार
पुत्रगण स्वर्गीय योगेन्द्र कुमार
1/3.श्रीमती शर्मिला साहू पुत्री योगेन्द्र कुमार
2. राजकुमार पुत्र भोलानाथ (फौत)
2/1.श्रीमती शीला राठौर (फौत)
2/2.अभिषेक कुमार
2/3.अमित कुमार | पुत्रगण स्वर्गीय राजकुमार
2/4.आशीष कुमार
2/5.अभय कुमार
3.श्रीमती रीतू साहू पुत्री स्वर्गीय राजकुमार
समस्त निवासीगण ठठिया परगना, तहसील तिर्वा जनपद कन्नौज।

.....निगरानीकर्तागण/वादीगण।

बनाम

1.राजकुमार उर्फ राजा पुत्र कालीचरन (फौत)
1/1.श्रीमती कृष्णा देवी(फौत)
1/2.स्नेह कुमार
1/3.अनिल कुमार | पुत्रगण स्वर्गीय राजकुमार
1/4.प्रदीप कुमार
1/5.श्रीमती सुमन गुप्ता पुत्री स्वर्गीय राजकुमार पत्नी सुनील कुमार
समस्त निवासीगण ठठिया परगना तहसील तिर्वा जनपद कन्नौज।

.....प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण।

<u>निर्णय</u>

1. प्रस्तुत दीवानी निगरानी, निगरानीकर्तागण योगेन्द्र कुमार (फौत) आदि की ओर से विद्वान सिविल जज(जू.डि.) कक्ष संख्या–04, कन्नौज द्वारा मूलवाद संख्या–65/1989 योगेन्द्र कुमार आदि बनाम राजकुमार आदि में पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 17.07.2025 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा निगरानीकर्तागण का प्रार्थना पत्र 131C2 सर्वे कमीशन निरस्त किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्तागण/वादीगण ने प्रार्थना पत्र 131C2 आदेश 26 नियम 9 व धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता विचारण न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण ने दावा हाजा बावत आराजी गाटा संख्या 411 रकवा 0.74 डिसमिल का दायर किया है, जिसे प्रतिवादीगण ने वादी के उक्त नम्बर के बाबत सर्वे कमीशन जारी होकर रिपोर्ट कमीशन आना अति आवश्यक है। इससे पूर्व वादीगण ने प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर वकील सुरेन्द्र सिंह यादव ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की थी, जो एकतरफा थी। न्यायहित में अन्य सर्वे कमिश्नर नियुक्त किया जाना आवश्यक है, ताकि स्पष्ट हो सके कि विवादित आराजी किस नम्बर

Digitally signed by NARENDRA KUMAR JHA
Date: 2026.03.25 17:04:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court
Kannauj

पर स्थित है। प्रार्थना पत्र में वादी आराजी संख्या 411 त्रुटिवश लिख गया था, जिसको तरमीम करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था कि आराजी गाटा संख्या को कलमजद कर आराजी गाटा संख्या 412 कर दिया जाए। याचना की गई कि सर्वे कमिश्नर नियुक्त कर उन्हें निर्देशित करें कि वे राजस्व कर्मचारीगण/टीम के सहयोग से विवादित नम्बर 412 रकवा 0.74 डिसमिल की पैमाइशे किसी मुश्तकिल मुकाम से करें और प्लाटिंग करके यह जाहिर करें कि विवादित आराजी नम्बर 412 का भाग है।

3. उपरोक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध विपक्षी द्वारा आपत्ति 132C2 कथन किया गया है कि सर्वेक्षण राजस्व टीम के द्वारा सर्वे नहीं कराया जा सकता है। प्रार्थना पत्र 131C2 में कमिश्नर सुरेन्द्र सिंह यादव, अधिवक्ता एक स्वतंत्र कमिश्नर हैं, जिन्होंने मौके पर सम्पूर्ण तहकीकात करने के उपरान्त अपनी आख्या प्रस्तुत की और यह पाया कि काफी जांच पड़ताल के बाद कोई स्थिर बिन्दु प्राप्त नहीं हो सका और सर्वे नहीं हो सका जिस वजह से जरीब का फैलाना मुश्किल है और पैमाइश होना भी मुश्किल है, जिसका नतीजा यह हुआ कि सर्वे नहीं हो सका। इस लिहाज से उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

4. विचारण न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश में यह विनिश्चय दिया गया कि दिनांक 07.07.2023 को रिपोर्ट 130C2 को पुष्ट कर दिया, जिसमें बताया गया कि विवादित आराजी को नापा गया। विवादित आराजी के पूर्व व उत्तर दिशाओं में मकान बने हुए हैं, कोई भी नियत बिन्दु का निर्धारण नहीं हो पाया, जिस कारण पैमाइश सम्भव नहीं हो सकी, जिसकी वजह से उक्त दिशाओं में सर्वे कराना सम्भव नहीं है, क्योंकि उक्त स्थान पर निर्माण हो चुका है। वादी द्वारा समय समय पर सर्वे आयुक्त हेतु प्रार्थना पत्र खारिज कराये जाने के उपरान्त भी पुनः सर्वे हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। सर्वे कमीशन का अब कोई औचित्य नहीं है, प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया, जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

5. निगरानीकर्तागण ने अपनी निगरानी में कथन किया है कि विधि अनुरूप यदि किसी वाद में आराजी खसरा नम्बर को विपक्षीगण द्वारा इंकार किये जाने पर सर्वे कार्यवाही द्वारा यह निर्धारित करना आवश्यक है कि विवादित सम्पत्ति किस आराजी गाटा संख्या में स्थित है। कमिश्नर सुरेन्द्र सिंह यादव एडवोकेट द्वारा दाखिल रिपोर्ट व नक्शा अपने आप में पूर्ण व सम्यक नहीं था। सर्वे नियमों के अनुसार यदि कहीं निर्माण हो भी गए हैं तो निर्माण होने के बावजूद मौके पर पैमाइश होना विधिक रूप से अनिवार्य है। उक्त कथनों के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 17.07.2025 को निरस्त कर निगरानी स्वीकार करने की याचना की गई है।

6. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया।

निष्कर्ष

7. विधि का स्थापित सिद्धांत है कि आदेश 26 नियम 9 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कमीशन नियुक्त करना न्यायालय का विवेकाधीन अधिकार है न कि पक्षकार का अधिकार। कमीशन तभी नियुक्त किया जाता है जब न्यायालय को यह लगे कि बिना स्थलीय जांच के विवाद का समुचित निस्तारण सम्भव नहीं है। अभिलेखों से यह भी स्पष्ट है कि पूर्व में नियुक्त कमीशनर द्वारा स्थल निरीक्षण कर यह निष्कर्ष दिया गया कि कोई निश्चित स्थिर बिन्दु उपलब्ध नहीं है तथा स्थल पर निर्माण होने के कारण पैमाइश होना सम्भव नहीं है। कमिशन रिपोर्ट कागज़ संख्या–130C2 को विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 07.07.2023 को पुष्ट भी किया जा चुका है। वादीगण द्वारा पुनः सर्वे कमीशन नियुक्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना वस्तुतः पूर्व में अस्वीकृत विषय को पुनर्जीवित करने का प्रयास करना प्रतीत होता है। केवल इस आधार पर कि पूर्व रिपोर्ट वादी के अनुकूल नहीं है, पुनः कमीशन नियुक्त किये जाने का कोई औचित्य नहीं बनता।

8. यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण द्वारा समय–समय पर समान प्रकृति के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाते रहे हैं, जिससे यह परिलक्षित होता है कि कार्यवाही को अनावश्यक रूप से विलम्बित करने का प्रयास किया जा रहा है। जहां तक यह तर्क है कि निर्माण होने

के बावजूद पैमाइश करायी जानी चाहिए, इस संबंध में यह कहना पर्याप्त है कि जब स्थल पर कोई विश्वसनीय आधार बिन्दु उपलब्ध ही नहीं है, तब पुनः सर्वे कराना मात्र औपचारिकता रह जाएगा और उससे विवाद के वास्तविक समाधान में कोई सहायता प्राप्त नहीं होगी।

9. उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 विधिसम्मत, न्यायसंगत एवं युक्तियुक्त है, जिसमें किसी प्रकार की अवैधता, अनियमितता अथवा न्यायिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है, जिससे इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित हो। उपरोक्त परिस्थितियों में वर्तमान दीवानी निगरानी निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्ता योगेन्द्र कुमार(फौत) आदि की ओर से प्रस्तुत वर्तमान निगरानी संख्या–31/2025 योगेन्द्र कुमार (फौत) आदि बनाम राजकुमार उर्फ राजा (फौत) आदि निरस्त की जाती है। विद्वान सिविल जज (जू.डि.) कक्ष संख्या–04, कन्नौज द्वारा पारित आदेश दिनांकित 17.07.2025 की पुष्टि की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। विचारण न्यायालय का अभिलेख वापस हो।

दिनांक 25.03.2026

(नरेन्द्र कुमार झा)
जनपद न्यायाधीश,
कन्नौज।

उक्त निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक 25.03.2026

(नरेन्द्र कुमार झा)
जनपद न्यायाधीश,
कन्नौज।